

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0:-02/स्था0-ए0-35/2009(भ).....275...../

पटना दिनांक:- 13.11.17

कार्यालय आदेश

Fax Email

श्री रामाशंकर राम, कनीय अभियंता, बिहार भवन, नई दिल्ली को वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, लापरवाही एवं हठधर्मिता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

(2) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(3) निलंबन की अवधि में श्री राम का मुख्यालय मुख्य अभियंता (पटना), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में निर्धारित की जाती है। निलंबन अवधि में श्री राम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।



(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर

आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 9997 (अ)

पटना, दिनांक:- 13.11.17

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर

आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 9997 (अ)

पटना, दिनांक:- 13.11.17

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव कोषांग, भवन निर्माण विभाग, पटना/अपर सचिव कोषांग/सभी संयुक्त संचिव/सभी उप सचिव/स्थानिक अभियंता, बिहार भवन, नई दिल्ली/श्री रामाशंकर राम, कनीय अभियंता, बिहार भवन, नई दिल्ली एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर

आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

